6043(E)
1/09/2026

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 31/8/2026 को सम्पन्न परिवाद समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमण्डल, छपरा अन्तर्गत पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.-25B/Chapra कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद पर विभागीय पत्रांक–2217(E) दिनांक–01.04.2026, पत्रांक–2360(E) दिनांक–09.04.2026 एवं पत्रांक–5625(E) दिनांक–17.08.2026 द्वारा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः

(i) श्री उमा कान्त रजक, अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(ii) श्री अभिषेक पलासिया, संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iii) श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(iv) श्री सुनील कुमार सुमन, मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. दिनांक–13.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जो उपभागीय ज्ञापांक–2437 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित है, में लिये गये निर्णय के विरूद्ध प्राप्त परिवाद पर मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2615(अनु०) दिनांक–27.08.2026 के माध्यम से परिवाद पर दिनांक–27.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की कार्यवाही एवं अनुशंसा के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम एवं पैकेज संख्या	:	पथ आस्तियों के अनुरक्षण हेतु दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियाँ अनुरक्षण संविदा (Long Term Output & Performance Based Road Asset Maintenance Contract) प्रणाली के तहत राज्य अन्तर्गत Package No.- 25B/Chapra
2.2	योजना मद	:	3054
2.3	निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	पथ प्रमंडल, छपरा।
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹16868.64 लाख। विभागीय ज्ञापांक–3247(एस०) दिनांक–12.05.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹18205.55 लाख। मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–1589(अनु०) दिनांक–22.05.2026
2.6	ECV/परिमाण विपत्र की राशि	:	₹16335.77719 लाख।
2.7	कार्य समाप्ति की अवधि	:	84 (Eighty-four) Months.
2.8	निविदा की प्रक्रिया	:	ई–टेंडरिंग (MBD)
2.9	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	03.07.2026
2.10	प्राप्त निविदा क्या पुनर्निविदा है यदि हाँ तो कारण	:	पुनर्निविदा नहीं है।

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित 05 (पाँच) संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :–

(1) Kawaljeet Singh Contractor
(2) M/s Adarsh Construction
(3) Avednex Pvt. Ltd.
(4) M/s MP Infacon 'JV'
(5) Dhariwal JK 'JV'

4. उपभागीय ज्ञापांक–2437 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक 13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में उक्त निविदा में कुल पाँच निविदाकारों में से तीन निविदाकार यथा (i) Kawaljeet Singh Contractor (ii) M/s Adarsh Construction एवं (iii) M/s M P Infracon 'JV' निविदा की वांछित अर्हत्ता को पूर्ण करने के फलस्वरूप तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। शेष दो निविदाकार **(i)** Dhariwal JK 'JV' को NIT के कंडिका–28 के आलोक में तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। (ii) Avednex Private Limited द्वारा **e-proc 2** में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया है। यहाँ तक कि EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किये गये है। फलतः इनके निविदा को अमान्य किया गया।

साथ ही विभागीय निदेश के अनुसार दो कार्य दिवस में इस निविदा में शामिल किसी निविदाकार का परिवाद/आपत्ति प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से परिवाद निष्पादन के उपरांत ही वित्तीय बीड खोलने हेतु निदेश दिया गया।

5. उपभागीय ज्ञापांक–2437 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की निर्णय के विरूद्ध विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, Dhariwal Jk (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026, MP Infra Con JV का पत्रांक–शून्य, दिनांक–16.08.2026 एवं अन्य OPRMC-III Package No.-22/B के निविदा में निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026 के द्वारा इस निविदा के निविदाकार MP Infra Con JV के Lead Partner M/S Maa Construction के विरूद्ध परिवाद/अभ्यावेदन/आपत्ति समर्पित किये जाने के परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–2615(अनु०) दिनांक–27.08.2026 द्वारा परिवाद पर दिनांक–27.08.2026 को आहूत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा समर्पित की गई है।

6. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, Dhariwal Jk (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026, MP Infra Con JV का पत्रांक–शून्य, दिनांक–16.08.2026 एवं अन्य OPRMC-III Package No.-22/B के निविदा में निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026 के द्वारा इस निविदा के निविदाकार MP Infra Con JV के Lead Partner M/S Maa Construction के विरूद्ध परिवाद/आपत्ति समर्पित किया गया है।

परिवाद /आपत्ति की समीक्षा :–

	परिवाद/आपत्ति	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा परिवाद की समीक्षा एवं निर्णय/अनुशंसा	परिवाद समिति की अनुशसा
1	**Dhariwal JK (JV)** With reference to the above, Dhariwal–JK 'JV' ("the Bidder") respectfully submits this representation against its technical disqualification on account of non-affixation of the ₹25/- Advocate Welfare Stamp on the affidavit uploaded by its Lead Partner, Dhariwal Buildtech Ltd. As recorded in the proceedings of the Technical Bid Evaluation Committee dated 13.08.2026, the Bidder has been declared technically unsuccessful with reference to NIT Condition No. 28, solely on the ground that the requisite ₹25/- Advocate Welfare Stamp was not affixed on the affidavit submitted by the Lead Partner. It may kindly be noted that Dhariwal Buildtech Ltd. is Limited company registered in the State of Haryana and all the Directors and witnesses who executed the said affidavit are residents of the state of Haryana. Accordingly, all the Lead Partner's documents submitted along with the BID were being prepared/executed in the state of Haryana. The concerned affidavit was executed/notarised strictly as per the stamp duty act and Law of Land of government of the state of Haryana, which doesn't necessitate affixation of Advocate Welfare Stamp in order to Substantiate the contents of the affidavit. Therefore, it is imperative that, as the affidavit is executed outside the State of Bihar, affixation of advocate welfare stamp is not applicable. One Affidavit by each member was required by as per MBD, hence total value of Advocate welfare stamp required was Rs. 50/- and we have affixed Rs. 50/- Advocate welfare stamp. Hence there is no deficit in value of Advocate welfare stamp required as per MBD. However, considering the requirement as mentioned in clause 28 of NIT, the other Partner has affixed Advocate welfare stamp of Rs. 50/- in place of Rs. 25/- on its Affidavit in order to fulfil the requirement for both JV	आलोच्य निविदा में निविदाकार Dhariwal JK (JV) द्वारा भाग लिया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा NIT की कंडिका–28 के आलोक में Advocate Welfare Stamp निविदाकार द्वारा Uploaded Affidavit में Affixed नहीं होने के कारण निविदा में असफल घोषित किया गया है। NIT की क्रमांक–28 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि Affidavit पर रू0 25/– का Advocate Welfare Stamp संलग्न करना है। स्पष्ट है कि निविदाकार के Lead Partner Dhariwal Buildtech Ltd. के द्वारा NIT के क्रमांक–28 के वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करने के आधार पर निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित किया गया है। अतः आपत्ति का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	Partners. Moreover, the omission is limited only to non-affixation of the prescribed ₹25/- Advocate Welfare Stamp and does not affect the contents, validity or substance of the declarations contained therein. The said deficiency does not relate to, or alter, the Bidder's technical experience, financial capacity, credentials, bid capacity or any other substantive eligibility requirement under the tender. Further, Submission of Revised affidavit would neither modify the bid as originally submitted nor confer any additional qualification or competitive advantage upon the Bidder. Without prejudice to the foregoing, the Bidder is ready and willing to affixing/submitting the requisite ₹25/- Advocate Welfare Stamp and/or a duly stamped affidavit, in such manner as may be permitted by the Department. In this regard, attention is respectfully invited to the principles considered by the Hon'ble Patna High Court in M/s Unibro Infraserv Pvt. Ltd. v. State of Bihar & Ors., CWJC No. 6204 of 2020, decided on 25.03.2021, Where it is stated that, "…. Having regard to the observations of the Hon'ble Supreme Court as above, this Court has no hesitation in holding that deficiency in the Advocate welfare stamps affixed on the affidavits was a non-essential and collateral term, more so as such defect did not reflect upon the ability and competence of the bidder to perform the work. Such defect was therefore rectifiable and the respondents ought to have granted a reasonable opportunity to the petitioner for this purpose before rejecting his technical bid." It is further submitted that the present representation is being made at the stage specifically contemplated under the Technical Bid Evaluation proceedings for receipt and disposal of objections/representations and prior to opening of the financial bids. Accordingly, submission of revised affidavit at this stage would neither disturb the tender process nor prejudice the rights of any other bidder. In view of the above, the lead member's affidavit with advocate welfare stamp in accordance with clause 28 of NIT is being		

	submitted for your kind consideration. We trust that you will find our submission in line with the requirement and will consider the technical bid of Dhariwal–JK 'JV' for further bidding process. It is pertinent to mention that the inclusion of Dhariwal JK JV's bid would certainly provide greater competitive advantage in the further bidding process by ensuring wider participation of technically and financially capable bidders. Such participation would strengthen the competitive environment and provide a broader basis for evaluation and comparison of bids. Increased competition among eligible bidders may result in more competitive and reasonable bid prices, thereby promoting transparency, fairness and proper utilization of Government's fund. The Bidder respectfully requests that this representation be considered and disposed of by a reasoned decision, before opening of the financial bids. Thanking you and assuring you of our best services all the time.		
2.	**MP Infra Con JV** उपरोक्त प्रासंगिक विषयक के संबंध में निवेदन के साथ कहना है कि मुख्य अभियंता उत्तर बिहार दिनांक–13.08.2026 को संपन OPRMC-III PKG 25B छपरा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा किए गए निर्णय में 5 निविदाकार में से 3 निविदाकार क्रमशः 1.Kawaljieet Singh Contractor 2. Adarsh Construction एवं MP Infracon JV को सफल घोषित किया गया है। जबकि मुख्य अभियंता South Bihar के तकनीकी बीड समिति के द्वारा दिनांक–14.08.2026 को संपन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय में क्रम 1. Kawaljeet Singh Contractor को OPRMC PKG No.-36A, 36B, 45B और 45C में इस आधार पर असफल घोषित किया गया है कि – 1. Kawaljeet Singh Contractor के द्वारा पथ प्रमण्डल, बक्सर के अन्तर्गत OPRMC-II PKG No. 36A का एकरारनामा किया गया था एकरारनामा के तहत बक्सर प्रमंडल के तीन पथों 1. धनसोई–दिनारा 2. दिनारा–जलहारा एवं 3. परसथूवा बाजार से	निविदाकार Kawaljieet Singh Contractor को विषयांकित निविदा में वांछित अर्हता पूर्ण करने के फलस्वरूप ही तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदा में सफल घोषित किया गया है। फलतः परिवाद का यह बिन्दु अमान्य किया जा सकता है।	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	महावीर स्थान पथ का कार्य Unforeseen के तहत उपभागीय कार्यालय का पत्रांक–324 दिनांक–28.01.2026 द्वारा स्वीकृति दिया गया तथा कार्यपालक अभियंता द्वारा पत्रांक–419 दिनांक–02.03.2026 पत्रांक–425 दिनांक–02.03.2026 पत्रांक–426 दिनांक–02.03.2026 द्वारा कार्यदेश दिया गया उक्त तीनों पथ कार्य पूर्ण करने की तिथि–30.03.2026 निर्धारित थी परंतु कार्यपालक अभियंता पथ प्रमण्डल, बक्सर द्वारा दिनांक–08.08.2026 को प्रतिवेदित किया गया है की अभी तक पथ में भौतिक कार्य क्रमश 75%, 20% एवं 28% पूर्ण किया गया है। अनुरक्षण अवधि में उदासीनता बरतने एवं पथ को अत्यंत खराब स्थिति में रखने के कारण निविदाकार का उक्त एकरारनामा MBD Section 3 Clause 1.2.1 (b) एवं Clause 2.2.2 के अनुसार Non Performing Contract के अधीन है अतः ये निविदा की वांछित अर्हता पूर्ण नहीं करते है। अतः इस आधार पर निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor को OPRMC-III के PKG No.- 36A, 36B, 45C और 45B में असफल घोषित किया गया है। जबकि मुख्य अभियंता उत्तर बिहार दिनांक–13.08.2026 को संपन्न OPRMC-III PKG 25B छपरा के तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा लिये गये निर्णय में भूलवश निविदाकार Kawaljeet Singh Contractor को सफल घोषित किया गया है जो आपतीजनक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि विभागीय आदेश 141 सह पठित पत्रांक–5355 (एस) दिनांक 28.10.2021 के आलोक में हमारे द्वारा दाखिल परिवाद/आपती को स्वीकार करते हुए तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा लिये गए निर्णय पर पुन विचार करने की कृपा करें।		
3.	**KAMAC Engineers Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये परिवाद :–** We respectfully submit this Pratiwad regarding the technical bid submitted by M/s MAA CONSTRUCTION for above mention Package-22B-Katihar. As per the tender conditions, the bidder is required to disclose all existing	यद्यपि KAMAC Engineers Pvt. Ltd. इस निविदा के निविदाकार नहीं है तथापि इनके द्वारा निविदाकार MP Infra Con JV के Lead Partner M/S Maa Construction के विरूद्ध परिवाद समर्पित किया है। निविदाकार M/S Maa Construction के विरूद्ध प्राप्त परिवाद के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, छपरा–2 के पत्रांक–1532, दिनांक–24.	तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा से सहमत।

	commitments/ongoing works - Financial Requirements for Current Contract Commitments including monthly financial requirements,- Bidders (or each Joint Venture partner) should provide information on their current commitments on all contracts that have been awarded, or for which a letter of intent or acceptance has been received, or for contracts approaching completion, And non-disclosure of ongoing works makes the bid Technically Non-Responsive. It is submitted that the bidder is associated with the many ongoing maintenance/construction projects in RWD-Chapra-1, 2 & Marhaura in Saran District- (Detailed sheet Attached). Although the maintenance work was yet not completed/completed the project is presently under the contractual 60-month Maintenance Period generally. As an in RWD projects, the contractor continues to have contractual maintenance obligations and corresponding financial receipt/resource commitments during this period. Therefore, the said ongoing maintenance commitment was required to be disclosed in required as per tender condition. If the same has not been disclosed in the submitted FIN-4, it constitutes non-disclosure of an existing contractual commitment and is a material violation of the tender requirement. In view of the above, we request your good office to kindly verify the submitted Form FIN-4 and, if the aforesaid ongoing maintenance work has not been disclosed, declare the bid of M/s MAA CONSTRUCTION asa TECHNICALLY NON-RESPONSIVE and reject the same accordance with the tender conditions. This may kindly be considered in the interest of fair and transparent technical evaluation.	08.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि M/S Maa Construction द्वारा उक्त योजना का Main Work का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं पैकेज अनुरक्षण अवधि में चल रहा है। निविदाकार M/S Maa Construction के द्वारा निविदा में Uploaded Existing Commitments में परिवादी द्वारा उल्लेखित Maintenance Work को नहीं दर्शाया गया है। MBD Section-3 Clause 1.2.3. में स्पष्ट अंकित है कि " The Bidder is to complete form of Current Contract Commitments as part of their Bid for the determination of this value and Current Contract Commitments must be duly certified by the Engineer-in-charge. साथ ही Form Fin-4 (c) में अंकित है कि " The Current Contract Commitments must be duly certified by Engineer-in-charge जो कि MBD के Section 6 Clause 1.22 में Defined है। निविदा के NIT कंडिका–39 में स्पष्ट रूप से भी अंकित है कि Existing Commitment Engineer-in-charge से निर्गत नहीं होने पर Non-Responsive & Invalid घोषित किया जायेगा। उपरोक्त से स्पष्ट है कि निविदाकार MP Infra Con JV के द्वारा Section 3: Clause 1.2.3, Section 3: Clause 1.2.3 4 E.10, FIN-4, NIT की कंडिका–39 के वांछित अर्हता को पूर्ण नहीं करते है। फलतः परिवाद का यह बिन्दू मान्य किया जा सकता है।	

7. <u>परिवाद की समीक्षा एवं तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :–</u>

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा समीक्षोपरांत एवं सम्यक विचारोपरान्त उपभागीय ज्ञापांक– 2437 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए अन्य OPRMC-III Package No.-22/B के निविदा में Kamac Engineers Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026 के द्वारा इस निविदा के निविदाकार **MP Infra Con JV** के Lead Partner M/S Maa Construction के विरूद्ध परिवाद को मान्य करते हुय निविदाकार **MP Infra Con JV** को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 तथा Section 3: Clause 1.2.3 4E.10, FIN-4 एवं NIT के कंडिका–39 के आलोक में निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित करने की अनुशंसा की जाती है। Dhariwal Jk (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026 एवं MP Infra Con JV का पत्रांक–शून्य, दिनांक– 16.08.2026 द्वारा दिये गये परिवाद/आपत्ति की समीक्षोपरांत तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक में पूर्व में लिये गये निर्णय में सफल निविदाकार **MP Infra Con JV** को छोड़कर उपभागीय ज्ञापांक–2437 दिनांक– 13.08.2026 द्वारा निर्गत कार्यवाही में घोषित सफल/असफल के निर्णय को यथावत् रखा जा सकता है।

8. <u>परिवाद समिति का निर्णय</u> :–

(i) विषयांकित कार्य की निविदा के तकनीकी बीड में असफल निविदाकार, Dhariwal Jk (JV) के पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026, MP Infra Con JV का पत्रांक–शून्य, दिनांक–16.08.2026 के द्वारा दिए गए परिवाद/आपत्ति को अमान्य एवं अन्य OPRMC-III Package No.-22/B के निविदा में निविदाकार Kamac Engineers Pvt. Ltd. का पत्रांक–शून्य दिनांक–17.08.2026 के द्वारा इस निविदा के निविदाकार MP Infra Con JV के Lead Partner M/S Maa Construction के विरूद्ध दिए गए परिवाद/आपत्ति को मान्य करने का निर्णय लिया जाता हैं।

(ii) 03 (तीन) निविदाकार (1) Dhariwal JK 'JV' को NIT के कंडिका–28 के आलोक (2) M/s M P Infracon 'JV' को MBD के Section 3: Clause 1.2.3 तथा Section 3: Clause 1.2.3 4E.10, FIN-4 एवं NIT के कंडिका–39 के आलोक में निविदा के तकनीकी बीड में असफल घोषित एवं (3) Avednex Private Limited द्वारा e-proc 2 में वांछित कागजातों के विरूद्ध केवल GST रजिस्ट्रेशन निविदा के साथ Upload किया गया है। यहाँ तक कि EMD के भी कागजात निविदा में नहीं Upload किये गये है। फलतः इनके निविदा को अमान्य करने का निर्णय लिया जाता है।

(iii) 02 (दो) निविदाकार यथा (1) Kawaljeet Singh Contractor एवं (2) M/s Adarsh Construction द्वारा निविदा की वांछित अर्हत्ता पूर्ण करने के कारण तकनीकी बीड में सफल घोषित करने का निर्णय लिया जाता हैं। तकनीकी बीड में सफल निविदाकारों का वित्तीय बीड खोलने का निदेश मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिया जाता है।

(iv) उपभागीय ज्ञापांक–2437 दिनांक–13.08.2026 द्वारा संसूचित दिनांक–13.08.2026 को सम्पन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(v) मुख्य अभियंता, उत्तर संबंधित परिवादी बीडर को समिति के निर्णय से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

8.1 परिवाद समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

(सुनील कुमार सुमन)	(राजेश कुमार गुप्ता)	(अभिषेक पलासिया)	(उमा कान्त रजक)
मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	मुख्य अभियंता, संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव (कार्य प्रबंधन), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः प्र0–7/निविदा–03–161/2026 6043(E) पटना, दिनांक 1/09/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता, उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(उमा कान्त रजक)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव(कार्य प्रबंधन),
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।